अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

Andaman And Nicobar Administration

शिक्षा निदेशालय /Directorate Of Education

***

Port Blair, dated the 20th April, 2011.

PRESS NOTE

In accordance with the provisions of sub-section(i) of section 29 of the RTE Act-2009, the National Council of Teacher Education(NCTE) had vide notification dated 23rd August, 2010 laid down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment of teacher in class I to VIII. It had been inter-alia provided that one of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher any of the schools referred to in clause(n) of section 2 of RTE Act is that he/she should pass the Teacher Eligibility Test(TET) which will be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE.

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India has entrusted the responsibility of conducting the Central Teacher Eligibility Test (CTET) to Central Board of Secondary Education(CBSE), New Delhi and the CTET examination will be held on 26.06.2011. The CBSE conducted CTET shall apply to all schools under the Administrative control of UT of Andaman and Nicobar Islands.

In pursuant to above, it is for information of all concerned that CTET shall be conducted in A & N Islands by the CBSE as per the schedule given below:-

Date of Examination	Paper	Timing	Duration
26.06.2011	Paper-I	09:30 to 11:00 hrs.	1 ½ hours
26.06.2011	Paper-II	12:30 to 14:00 hrs.	1 ½ hours

Pattern of Examination :- The CTET examination will be of objective type multiple choice questions (MCQ's). There will be no negative marking and there will be two papers of CTET.

i) Paper-I will be for a person who intends to be a teacher for classes I to V.
ii) Paper-II will be for a person who intends to be a teacher for classes VI to VIII.
iii) A person who intends to be a teacher for both levels (classes I to V and classes VI to VIII) will have to appear both the paper I and paper II)

The Cost of CTET information Bulletin and application form

i) For General /OBC candidates Rs. 500/-.
ii) For SC/ST/Differently abled candidates Rs. 250/-.

The information bulletin and the application form can be obtained from the Syndicate Bank, 19-Tagore Road, Gandhi Nagar, Mohanpura, Port Blair - 744101, Andaman and Nicobar Islands from 20.04.2011 to 10.05.2011 against cash payment (not by post).

Information Bulletin containing Application Form can also be had by post by sending Demand Draft of required fee from the Central Board of Secondary Examination, Shiksha Sadan, 17 Rouse Avenue, New Delhi – 110002.

(P.T.O)

On Line Submission :- Application can also be submitted through on line. For on line submission of application to the Board, access the CBSE's website WWW.cbse.nic.in and submit application from. The candidate should supply all details while filing up the online form. Candidates are required to take print out of the computer generated application form/confirmation page after successful submission of data. Applications can be submitted through online with effect from 08.04.2011 and the fee can be remitted through credit card/debit card or through demand draft in favour of the Secretary, CBSE, New Delhi drawn in any nationalized bank payable at Delhi. The application Form/confirmation page complete in all respect should be sent by Registered post/speed post to the "The Asst. Secretary (CTET), Central Board of Secondary Education, Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue, New Delhi-110002".

Last date of submission of application form: 15.05.2011
(on line and off line both). Seven days grace time i.e. up to 22.05.2011 for receipt of application form will be allowed to the candidates belonging to Andaman and Nicobar Islands. The application form sent by courier will be rejected.

For eligibility criteria and other details, please refer website WWW.cbse.nic.in or "the New Indian Express News Paper" dated 08.04.2011 or "the Hindu news paper" dated 08.04.2011.

Please note qualifying TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment.

Asst. Director of Education(Perl)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
शिक्षा निदेशालय
DIRECTORATE OF EDUCATION

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 20th अप्रैल, 2011

प्रेस नोट

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 29 के उप अनुच्छेद(1) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 के अधिसूचना के तहत पहली से आठवीं कक्षा के लिए अध्यापकों की नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 2 के खंड(एन) में उल्लेखित किसी भी विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को पात्र होने के लिए उसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन कराने की जिम्मेदारी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सौंपी गई है तथा केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा दिनांक 26.06.2011 को आयोजित की जाएगी । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विद्यालयों पर भी लागू होगी ।

उपर्युक्त निर्देश के अनुसरण में सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन निम्न अनुसूची के अनुसार आयोजित किया जाएगा :–

परीक्षा की तिथि	पत्र	समय	अवधि
26.06.2011	पत्र–I	0930 से 1100 बजे	1.30 घंटे
26.06.2011	पत्र–II	1230 से 1400 बजे	1.30 घंटे

परीक्षा प्रतिरुप: केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प प्रश्न आधार पर होगी । इस परीक्षा में नेगेटीव मार्किंग नही होगी और इसमें दो पत्र होंगे ।

1) पत्र–1 उन व्यक्तियों के लिए होगा जो पहली से पाँचवी कक्षा के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं ।
2) पत्र–2 उन व्यक्तियों के लिए होगा जो छठी से आठवीं कक्षा के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं ।
3) वह व्यक्ति जो दोनो स्तरों(पहली से पाँचवी तथा छठी से आठवीं कक्षा) के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं, उन्हें दोनो पत्र की परीक्षा में भाग लेना होगा ।

केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा की सूचना बुलेटिन तथा आवेदन प्रपत्र की किमत

1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए रु0.500/–
2) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजातीय/विकलांग उम्मीदवारों के लिए रु0.250/–

सूचना बुलेटिन तथा आवेदन प्रपत्र सिंडीकेट बैंक, 19–टैगोर रोड, गांधी नगर, मोहनपूरा, पोर्ट ब्लेयर 744101, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से दिनांक 20.04.2011 से 10.05.2011 तक नकद भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं । (डाक द्वारा नही)

डाक द्वारा आवेदन प्रपत्र सहित सूचना बुलेटिन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा सदन 17 राऊज एवन्यू, नई दिल्ली 110002 को आवश्यक शुल्क को डिमांड ड्राफ्ट के रुप में भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता है ।

ऑन लाइन प्रस्तुत करना :– आवेदन को ऑन लाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है । इसके लिए के.मा.शि. बोर्ड की वेबसाइट 'www.cbse.nic.in' पर जाकर ऑन लाइन प्रपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । उम्मीदवार को ऑन लाइन प्रपत्र भरते समय सभी विवरण देने होंगे । सफलतापूर्वक विवरण दिए जाने के बाद कम्प्यूटर द्वारा जनरेट आवेदन प्रपत्र/पुष्टि पृष्ठ को प्रिंट कर लिया जाना चाहिए । ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8.04.2011 से किया जा सकता है तथा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पक्ष में दिल्ली में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रुप में किया जा सकता है । पूर्ण रुप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र/पुष्टि पृष्ठ 'सहायक सचिव(के.अ.पा.प), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा दसन, 17, रोस दवन्यू, नई दिल्ली.110002 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए ।

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.05.2011 है ।(ऑन लाइन और ऑफ लाइन के लिए भी) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में 7 दिन का रियायत अवधि दिया गया है ।(दिनांक 22.05.2011) कूरियर से भेजे गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

पात्रता मानदंड तथा अन्य विवरण के लिए 'www.cbse.nic.in' या दिनांक 8.04.2011 का 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर' या दिनांक 8.04.2011 का 'हिंदू न्यूज पेपर' का अवलोकन करें ।

कृपया नोट करें कि केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर व्यक्ति को भर्ती/रोजगार पाने का अधिकार प्राप्त नही हो जाता । यह केवल नियुक्ति के लिए मात्र एक पात्रता मानदंड है ।

सहायक शिक्षा निदेशक(कार्मिक)